न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 946/2024

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रेखा पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 07/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि वादी के भाई विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता निकुराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादी की माता पारो पत्नी निकुराम का भी स्वर्गवास हो चुका है एवं वादी के सगे भाई विनोद कुमार पुत्र निकुराम का भी देहांत हो चुका है। विनोद कुमार की पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 रेखा ने विनोद कुमार के स्वर्गवास के बाद अन्यत्र विवाह कर लिया है तथा रेखा उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है इसलिए मृतक विनोद कुमार का एक मात्र वारिस नत्थुराम पुत्र निकुराम है।

मृतक विनोद कुमार पुत्र निकुराम जो की वादी का सगा भाई है जिसके स्वर्गवास के बाद वादी के अतिरिक्त अन्य कोई जायज कानूनी वारिस नही है तथा वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद [illegible] उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबा[illegible] निवेदन किया की [illegible] वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 सम्वत 2073–76, मृत्यु प्रमाण पत्र पारो, मृत्यु प्रमाण पत्र विनोद कुमार, मृत्यु प्रमाण पत्र निकुराम, सदस्य प्रमाण पत्र व रेखा पत्नी विनोद कुमार द्वारा सहमति बाबत हक त्याग पेश किया गया की मुझ मिकरा के पति का देहान्त हो चुका है विनोद के देहांत के बाद प्रहलाद से दुसरा विवाह कर लिया है। मेरे पहले पति विनोद कुमार से कोई संतान नही है। विनोद कुमार के देहांत के बाद विनोद कुमार की मैं एकमात्र वारिस हूँ। लेकिन मेने दुसरी शादी कर ली है इसलिए उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती हूँ। उक्त वाद भूमि विनोद कुमार के भाई नत्थुराम के नाम दर्ज की जाती है तो मुझे कोई उज्र व ऐतराज नही है आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि वादी के भाई विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विनोद कुमार पुत्र निकुराम जो की वादी का भाई का देहांत हो चुका है। विनोद कुमार के देंहात के बाद उसकी पत्नी रेखा जायज वारिस है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 रेखा द्वारा दुसरा विवाह कर लिया गया है इसलिए रेखा उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। विनोद कुमार की माता व पिता का भी देहांत हो चुका है। विनोद कुमार की पत्नी द्वारा उक्त वाद भूमि में हक न लेने के कारण वादी ही एकमात्र वारिस है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि वादी के भाई विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। [illegible] रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि वादी के भाई विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विनोद कुमार पुत्र निकुराम जो की वादी का भाई का देहांत हो चुका है। विनोद कुमार के देंहात के बाद उसकी पत्नी रेखा जायज वारिस है लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 रेखा द्वारा दुसरा विवाह कर लिया गया है इसलिए रेखा उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। विनोद कुमार की माता व पिता का भी देहांत हो चुका है। विनोद कुमार की पत्नी द्वारा उक्त वाद भूमि में हक न लेने के कारण वादी ही एकमात्र वारिस है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सहमति प्रकट कर निवेदन किया गया है कि उक्त वाद भूमि विनोद कुमार के नाम दर्ज की जाती है तो मुझे कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेजों के मुताबिक वादी के भाई विनोद व उसकी पिता व माता का देहांत हो चुका है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक विनोद कुमार पुत्र निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 946/2024

अनवान : –

1. नत्थुराम पुत्र निकुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रेखा पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 946 सन 2024 निर्णय दिनांक 07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री ~~रविन्द्र गोदारा~~ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 149/137 की कुल 1.7540 हैक्ट भूमि विनोद कुमार पुत्र निकुराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक विनोद कुमार पुत्र निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested